न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 176/2016 (2016/00869)

1. छोटूलाल पुत्र रामचन्द्र नायक निवासी सापन्दा चौराहा के पास, केकड़ी जिला अजमेर।

——वादी

♠ बनाम ♠

1. घीसालाल पुत्र रामचन्द्र नायक निवासी केकड़ी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88,89,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 20.04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,188,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया ,कि करबा केकडी तहसील केकडी की जमाबन्दी स. स्थायी 2076 के खाता संख्या 609 के खसरा नम्बर 755 रकबा 0.89 तथा खसरा नम्बर 8773/756 रकबा 0.55हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.44हैक्टर का निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 03.06.2016 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकड़ी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार हैः—

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1.	घीसालाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा—पूर्ण जाति नायक सा.देह खातेदार(पीला रंग)	755/1 8773/756/1	0.445 0.275	बारानी 1 बारानी 1
		किता 2	0.720	
2.	छोटूलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति नायक सा.देह खातेदार(लाल रंग)	755/2 8773/756/2	0.445 0.275	बारानी 1 बारानी 1
		किता 02	0.720	

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी का हिस्सा लाल रंग से दर्शित किया गया है जबकि प्रतिवादी का हिस्सा पीला रंग से दर्शित किया गया है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी एवं प्रतिवादी मौके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। प्रतिवादी के अभिभाषक ने रेकार्ड के अनुसार बंटवारा किये जाने मे सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया।वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क स	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
1	घीसालाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा–पूर्ण जाति नायक सा.देह खातेदार(पीला रंग)	755/1 8773/756/1	0.445 0.275
		किता 2	0.720
2.	छोटूलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति नायक सा.देह खातेदार(लाल रंग)	755/2 8773/756/2	0.445 0.275
		किता 02	0.720

तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना –अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी(अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner